

# न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरु

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2022/23

दायर दिनांक 27.04.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

—प्रार्थी—

बनाम

मनोज अग्रवाल पुत्र रिद्धकरण अग्रवाल, मैसर्स कन्हैयालाल चम्पालाल, मैन मार्केट सरदारशहर जिला चूरु।

—अप्रार्थी—

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (11)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।  
2. श्री नरेन्द्र कुमार लाम्बा, अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 08.02.2023

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :-

1. यह कि मै फूल सिंह बाजिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटीफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 व एफएसएसए/2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरु में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.01.2022 को 02.25 पी.एम. पर मै0 कन्हैयालाल चम्पालाल, मैन मार्केट, सरदारशहर जिला चूरुपर पहुंचा। वहां पर श्री मनोज अग्रवाल अपनी दुकान में लोहे की परात में करीबन 10 किलोग्राम **मावा की बर्फी** स्टॉक में बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री मनोज अग्रवाल से पुछने पर बताया कि **मावा की बर्फी** की मिठाई बनाकर ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहांन के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री मनोज अग्रवाल को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि **मावा की बर्फी** में मिलावट का शंका होने पर उसमें से 2 किलोग्राम **मावा की बर्फी** एक साफ सुखा स्टील के बर्तन में वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री मनोज अग्रवाल को 600/-रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहांन श्री धर्मन्द्र पांडू, नायब तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरु एवं श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा की बर्फी** को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि बोतलो को दिखाकर उक्त खरीदशुदा **मावा की बर्फी** को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर 500-500 ग्राम मात्रा में डालकर प्लास्टिक बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40-40 बूंदे डालकर बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर, डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल-2844 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अंकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाहांन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये नमूना के चारो भागों को अलग अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरु की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल-2844 नियमानुसार नमूना के चारों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। नमूना के चारो भागों पर नमूना संख्या दिनांक खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर किये मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाहांन को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें मैंने स्वयं हस्ताक्षर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विप्लेशक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे में फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक-170 दिनांक 09.03.2022 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विप्लेशक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./536/एक्ट/2022/574 दिनांक 25.02.2022 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा की बर्फी, सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/296 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
9. यह कि उक्त प्रकरण में मनोज अग्रवाल ने सबस्टैण्डर्ड मावा की बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार लाम्बा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 16.08.2022 को जवाब पेश किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि श्री फूल सिंह बाजिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो कि पहले भी कई बार हमारी दुकान पर आये हुए है इस कारण से मैं उन्हें जानता हूँ। दिनांक 27.01.2022 को दिन के समय करीब 02.25 पी.एम. पर हमारी दुकान आए और कहा कि राज्य सरकार का अभियान है जिसमें वह अपना कोटा पूर्ति हेतु टारगेट पूरा करने के लिए आज सरदारशहर के अभियान पर है। प्रार्थी के पास लोहे का कुण्डा जिसमें पशुओं को खाद्य पदार्थ डालते है, रखा था जिसमें करीब 3 कि.ग्रा. मावे की बर्फी जो कि गर्मी के कारण फंगस होने से खराब हो गई थी, नष्ट करने के लिए लोहे के कुण्डे में डालकर भिजवाने वाले थे कि श्री फूल सिंह बाजिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त बर्फी को एक पैकेट में डाल लिया। अप्रार्थी अपना लघू स्तर का व्यवसाय करता है जिसकी लागत भी बहुत थोड़े स्तर पर ही वहन कर पाता है तथा हमेशा शुद्ध एवं ताजा खाद्य पदार्थों का विक्रय करता है। अप्रार्थी कम आय वर्ग का व्यक्ति है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप करने का आदेश फरमावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ मावा की बर्फी सबस्टैण्डर्ड, का सेम्पल नं. एल-2844 रिपोर्ट संख्या एल.एस./536/एक्ट/2022/574 दिनांक 25.02.2022 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ मावा की बर्फी सबस्टैण्डर्ड की



परिवाद सं. 2022/23  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनोज अग्रवाल

रिपोर्ट संख्या एल.एस./536/एक्ट/2022/574 दिनांक 25.02.2022 से **सबस्टैण्डर्ड** होना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी को **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ **मावा की बर्फी सबस्टैण्डर्ड**, बेचने के कारण एवं उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी मनोज अग्रवाल पुत्र रिद्धकरण अग्रवाल, मैसर्स कन्हैयालाल चम्पालाल, मैन मार्केट सरदारशहर जिला चूरु को 2,50,000/- रुपये (दो लाख पच्चास हजार लाख रुपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। अप्रार्थी उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार गौतम)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरु  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु